रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032024-253215
CG-DL-E-18032024-253215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1408] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 2024/फाल्गुन 28, 1945
No. 1408] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 2024/PHALGUNA 28, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

का.आ. 1477(अ).—भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) "राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पॉम तेल (एनएमईओ-ओपी)" (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजना कहा गया है) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रशासित कर रहा है, जिसका लक्ष्य पॉम तेल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके और कच्चे पॉम तेल के उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि करना है। यह योजना कच्चे पॉम तेल की कीमतों में अस्थिरता से किसानों को बचाने के लिए वायबिलिटी गैप भुगतान (Viability Gap Payment) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वीजीपी कहा गया है) का उपबंध करती है। वीजीपी का सीधा भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तब किया जाता है जब उद्योग द्वारा किसान के एफएफबी का भुगतान वायबिलिटी मूल्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् वीपी कहा गया है) से कम हो जाता है, जिसकी भारत सरकार द्वारा प्रत्येक पॉम तेल वर्ष (1 नवंबर से 31 अक्तूबर) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ओपीवाई कहा गया है) के लिए अनुमोदित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है ;

और, पूर्वोक्त योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) द्वारा किया जाता है;

और, पूर्वोक्त योजना में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अतः केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित की अपेक्षा करता है, यथा: -

1. (1) योजना के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक किसी भी पात्र लाभार्थी से आधार संख्या या आधार अधिप्रमाणन कराने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक किसी पात्र लाभार्थी, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को आधार संख्या के लिए आवेदन करना होगा परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध] का दौरा कर सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय में योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग से लाभार्थियों जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, के लिए आधार नामांकन की सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुक या तहसील में स्थित कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय में योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रीकरण के समन्वय में या स्वयं को यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनाते हुए सुलभ स्थानों में आधार नामांकन की सुविधा प्रदान करेगा:-

परंतु व्यक्ति को आधार सौंपें जाने तक इस योजना के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी:-

(क) यदि उसने अपना नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; तथा

(ख) (i) बैंक पासबुक या फोटो सहित पोस्ट ऑफिस पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) मनरेगा जॉब कार्ड; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) राजकीय लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति का फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; या (x) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जाँच उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित एक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध लाभ प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा जिससे लाभार्थियों को योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. सभी मामलों में, जहां आधार प्रमाणीकरण लाभार्थियों के खराब बॉयोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित अपवाद हैंडलिग तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्: -

(क) फिंगरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईआरआईएस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, जिसके द्वारा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय सहज तरीके से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ आईआरआईएस स्कैनर या चेहरा अधिप्रमाणन की व्यवस्था करेगा;

(ख) उंगलियों के निशान या आईआरआईएस या चेहरे अधिप्रमाणन के माध्यम से बॉयोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल न होने की स्थिति में जहां कहीं संभव और स्वीकार्य हो यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या सीमित समय वैधता के साथ समय आधारित वन टाइम पासवर्ड (टीओटीपी) द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी ऐसे मामलों में जहां बायोमेट्रिक या ओटीपी या टीओटीपी अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां वास्तविक आधार पत्र, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड के माध्यम से सत्यापित की

जा सकती है, के आधार पर प्रसुविधा प्रदान की जा सकेगी। राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर क्यूआर कोड रीडर उपलब्ध करवाई जाएगी;

4. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 3-45/2023-ओपी(केबी)]

अजीत कुमार साहू, संयुक्त सचिव (तिलहन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

S.O. 1477(E).—Whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering "National Mission on Edible Oils- Oil Palm (NMEO-OP)" (hereinafter referred to as the Scheme) as a Centrally Sponsored Scheme which aims to enhance the edible oilseeds production and availability in the country by harnessing Oil Palm area expansion and increasing Crude Palm Oil production. The Scheme provides Viability Gap Payment (hereinafter referred to as the VGP) to insulate the farmers from the volatility in Crude Palm Oil prices. VGP is paid directly through Direct Benefit Transfer (DBT), when the farmer's payment of FFB given by the industry falls below the Viability Price (hereinafter referred to as the VP), which is declared by the Government of India for every Oil Palm Year (1st November to 31st October) (hereinafter referred to as the OPY), as per the approved Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme is implemented through the State Government, Union Territory Administration and by the Ministry (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby requires the following, namely:-

1. (1) Any eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration or the Ministry, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration or the Ministry shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming Unique Identification Authority of India Registrars themselves:-

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:

(a) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; and

(b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) MGNREGS Job Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Any other document as specified by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception-handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or Face Authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the State Government or the Union territory Administration or the Ministry shall make provisions for IRIS scanners or Face Authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of biometric authentication through fingerprints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or OTP or TOTP authentication is not possible, benefit may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. The necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the State Government or the Union territory Administration or the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare;

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3-45/2023-OP(KB)]

AJEET KUMAR SAHU, Jt. Secy. (Oilseeds)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA